2019/00257

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **230**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने, तिलक नगर जयपुर शाखा कार्यालय चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. इकरामुद्दीन लुहार पुत्र श्री बुन्दु खां
   लुहार मोहल्ला, ग्राम बधाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर एव
   144, मीणा मोहल्ला, ग्राम बधाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।
2. बुन्दू खां पुत्र श्री स्माइल
3. श्रीमती खेरून पत्नी श्री बुन्दु खां
   निवासी लुहार मोहल्ला, ग्राम बधाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर
4. सलीम पुत्र श्री गुलाब खांन
   निवासी 648, पावर हाउस, ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—

1.श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

2. श्री इकरामुल्लाह खान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश दिनांक 17-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी बुन्दू खां पुत्र श्री स्माइल के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम बधाल स्थित दुकान क्षेत्रफल 18.12 वर्गगज को बन्धक रख कर 3,50,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत आप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री इकरामुल्लाह खान उपस्थित हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। अप्रार्थी ऋणी की धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेंकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बुन्दू खां पुत्र श्री स्माइल के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम बधाल स्थित दुकान क्षेत्रफल 18.12 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 17-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)